# वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

## वित्तीय वर्ष 2013-2014

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 77 के अनुसार वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन अग्रेतर कार्यवाही की आशा से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें आलोच्य वर्ष की समस्त आपत्तियों का समावेश है, जिसे नगर निगम प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है, किन्तु विभागों द्वारा आपत्तियों का निस्तारण नहीं कराया गया।

### ऑडिट आपत्तियों की स्थिति-

नगर निगम के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित वर्ष 2012-2013 के अन्त तक कुल 43608 साधारण आपत्तियाँ तथा 2192 विशेष आपत्तियाँ शेष थीं। आलोच्य वर्ष 2013-2014 में 105 सा0 आपत्ति तथा 04 विशेष आपत्ति उठाई गयी। इस प्रकार आलोच्य वर्ष के अन्त तक बढ़कर 43713 सा0 आपत्ति एवं 2196 विशेष आपत्ति हो गई। विभाग का विवरण नीचे दर्शाया जा रहा है।

### आपत्तियों का चार्ट (1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | | उठाई गयी आपत्तियाँ | | निस्तारित आपत्तियाँ | | अवशेष आपत्ति[illegible] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सा0आ0 | वि0 आ0 | सा0 आ0 | वि0आ0 | सा0 आ0 | वि0आ0 | सा0आ0 | वि0[illegible] |
| 1 | स्वास्थ्य विभाग | 10011 | 298 | 04 | | | | 10015 | 29[illegible] |
| 2 | लेखा विभाग | 4637 | 303 | 38 | 03 | | | 4675 | 30[illegible] |
| 3 | कर विभाग | 5963 | 613 | 13 | 01 | | | 5976 | 61[illegible] |
| 4 | प्रधान कार्यालय | 2080 | 70 | | | | | 2080 | [illegible] |
| 5 | चुंगी विभाग | 8249 | 374 | | | | | 8249 | 3[illegible] |
| 6 | प्रकाश विभाग | 1211 | 62 | 06 | | | | 1217 | [illegible] |
| 7 | विधि विभाग | 644 | 07 | | | | | 644 | [illegible] |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | वसूल विभाग | 661 | 53 | | | | | 661 | 53 |
| 9 | कर्मशाला | 2258 | 84 | 04 | | | | 2262 | 84 |
| 10 | तहबजारी | 1144 | 94 | | | | | 1144 | 94 |
| 11 | पुस्तकालय | 327 | 6 | | | | | 327 | 6 |
| 12 | वाहन विभाग | 336 | 11 | | | | | 336 | 11 |
| 13 | निर्माण विभाग | 5362 | 155 | 36 | | | | 5398 | 155 |
| 14 | परिवार कल्याण | 92 | 09 | | | | | 92 | 9 |
| 15 | विज्ञापन | 71 | 06 | 01 | | | | 72 | 6 |
| 16 | जन सम्पर्क विभाग | 35 | 02 | | | | | 35 | 2 |
| 17 | सचिवालय | 16 | - | | | | | 16 | - |
| 18 | गर्ल्स इंटर कॉलेज गुड़ की मण्डी | 131 | 13 | | | | | 131 | 13 |
| 19 | गर्ल्स हाईस्कूल ताजगंज | 75 | 09 | | | | | 75 | 9 |
| 20 | ताजगंज इंटर कॉलेज बालक | 66 | 10 | | | | | 66 | 10 |
| 21 | विश्व बैंक | 127 | 03 | | | | | 127 | 3 |
| 22 | ट्रैफिक सेल | 11 | - | | | | | 11 | - |
| 23 | एन0ए0/ए0एन0ए0/एस0एन0ए0 | 20 | 05 | | | | | 20 | 5 |
| 24 | सामान्य स्टोर | 19 | 01 | | | | | 19 | 1 |
| 25 | केयर टेकर | 59 | 01 | 03 | | | | 62 | 1 |
| 26 | सम्पत्ति विभाग | 3 | 03 | | | | | 3 | 3 |
| | योग | 43608 | 2192 | 105 | 4 | | | 43713 | 2196 |

उपरोक्त आपत्तियों के निस्तारण में सम्बन्धित विभागों द्वारा पर्याप्त रूचि न लिये जाने से इनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है, जो कि नगर निगम के आर्थिक हितों के लिये अनुकूल नहीं है।

<u>लेखाविभाग</u>

1. लेखा नियमावली के नियम 72(2) का लेखा विभाग द्वारा अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 77(2) के अनुसार नगर निगम, आगरा के विभिन्न विभागों में अनुरक्षित वादियों की जाँच लेखाधिकारी

द्वारा किया जाना चाहिए और ऐसे प्रकरणों की सूचना जिसमें क्षति की संभावना है, लेखाधिकारी द्वारा तत्काल मुख्य नगर लेखा परीक्षक को दी जानी चाहिए। किन्तु इस प्रकार की कोई सूचना लेखा विभाग द्वारा नहीं भेजी गयी। फलतः लेखा द्वारा नगर निगम लेखा नियमावली की निरन्तर अवहेलना की जा रही है, जो निगम की भारी आर्थिक क्षति का कारण बन सकती है।

2. लेखा नियमावली के नियम 74 के अन्तर्गत विभागीय अध्यक्ष द्वारा निगम निधि की हानि तथा प्रकरणों की सूचना मुख्य नगर लेखा परीक्षक को दी जानी चाहिए। इस प्रकार की किसी भी सूचना एवं कार्यवाही से सम्परीक्षा को कभी अवगत नहीं कराया गया।

3. लेखा विभाग द्वारा लेखा नियम 50 की निरन्तर अवहेलना नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 60 के अनुसार निस्तारण (रद्द) किये गये चैकों को मुख्य नगर लेखा परीक्षक के सम्मुख नष्ट करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही निररत चैकों के बनाने के बाद मुख्य नगर लेखा परीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

4. सामान्य रोकड़वही व उससे सम्बन्धित अभिलेख नित्य परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखा नियमावली के नियम 75 के अन्तर्गत भुगतान जैसे ही किये जायें तथा प्राप्तियों को जैसे ही सा0रो0व0 के लेखों में अंकित किया जायें, लेखा परीक्षा की जायेगी, किन्तु उक्त नियम के अनुपालन में चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के अन्त में एक दो दिन के लिये ही सा0रो0वही उपलब्ध कराई गयी। वह भी अपूर्ण स्थिति में रहा। इस सम्बन्ध में लेखा प्रभारी को अनेकों पत्र तथा सा0 आपत्तियों के माध्यम से निरन्तर अवगत कराया जाता रहा है। किन्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रकरण में नियमों को उद्दृत करते हुए नगर आयुक्त के संज्ञान में विशेष आपत्ति संख्या-3 दिनांक 29.6.2013 के द्वारा अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त स्तर से भी निर्देश दिये जाने के बावजूद अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

सा0रो00ही के साथ बैंक रिकन्सीलेसन, लेखा स्टेटमेन्ट व सम्बन्धित अभिलेख नित्य परीक्षण को उपलब्ध कराया जा सके। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है।

5. <u>विभागों द्वारा लेखा पंजी का अनुरक्षण न किया जाना-</u> लेखा नियम 38(1) के अनुसार प्रत्येक विभाग में समस्त प्राप्त होने वाले देयकों को देयक पंजी (प्रपत्र सं0-25) में प्रविष्ट किया जाना चाहिए तथा उस पर यह अंकित किया जाना चाहिए कि देयक कब भुगतान हुआ साथ ही में प्रमाणक संख्या व तिथि भी अंकित की जानी चाहिए। परन्तु यह पंजी कई विभागों द्वारा अनुरक्षित नहीं की जाती। जहाँ अनुरक्षित भी की जाती हैं वहाँ उनमें प्रविष्टियाँ अधूरी पड़ी रहती हैं।

6. <u>अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में नियमों की अवहेलना-</u> लेखा नियमावली के नियम(32) तथा (33) के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती, जिसके परिणाम स्वरूप पुरानी अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण न कराये जाने के कारण अनुज्ञप्ति शुल्क से होने वाली आय प्राप्त नहीं हो पाती, इस बिन्दु पर प्रशासन का समुचित ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

7. <u>अस्थायी अग्रिम का छः मास के अन्दर समायोजन न कराया जाना-</u> लेखा नियमावली के नियम 5(4) के अन्तर्गत प्रत्येक अस्थायी अग्रिम का समायोजन छः माह के अन्दर अवश्य ही करा दिया जाना चाहिए। नगर निगम के कई विभागों द्वारा पर्याप्त मात्रा में धनराशि अस्थायी अग्रिम के माध्यम से प्राप्त करके व्यय की जाती हैं तथा उन अग्रिमों का समायोजन छः महीने के अन्दर नहीं कराया जाता। यह लेखा नियम 5(4)(ग) का स्पष्ट उल्लघंन है, जिस पर विशेष ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

8. <u>विभागों की भंडार पुस्तिकाओं का नियमानुकूल अनुरक्षण न किया जाना-</u> यह सामान्य रूप से देखने में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा अनुरक्षित भंडार पुस्तिकाओं का अनुरक्षण विधिवत नहीं किया जाता, उनमें कोई न कोई न्यूनतायें बनी ही रहती हैं, या तो उसके सभी स्तम्भ भरे नहीं जाते हैं या प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किये जाते हैं या वस्तुओं का निर्गमन इन्डेन्ट सहित नहीं दर्शाया जाता, जिससे शेष की

जाँच नहीं हो पाती या पिछले वर्षों से शेषों को अगले वर्षों में अग्रेसित नहीं किया जाता।

9. <u>अधिष्ठान सम्बन्धी अभिलेखों का अनुरक्षण संतोषजनक ढंग से न किया जाना-</u> यह सामान्य रूप से पाया जाता है कि अवकाश लेखा सेवा पुस्तिका में निर्धारित प्रपत्र पर नहीं बनाये जाते हैं वे अधिकांशतः अतिरिक्त प्रपत्र पर बनाये व सेवा पुस्तिका में नत्थी कर दिये जाते हैं, जो उचित नहीं है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

10. <u>स्केल रजिस्टर का न बनाया जाना-</u> विभाग के स्वीकृत पदों के विवरण सहित स्केल रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया जाता। यह प्रक्रिया लेखा नियमों के विपरीत है, इससे निगम को आर्थिक क्षति होना सम्भावित है।

<u>लेखा विभाग की वित्तीय वर्ष 2013-2014 की अन्य अनियमिततायें।</u>

लेखा विभाग द्वारा आय-व्यय से सम्बन्धित वाउचर/अभिलेखों को रोकड़ वही के साथ नियमित रूप से प्रतिदिन न प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में-यह प्रायः देखा गया है कि नगर निगम की दैनिक आय के साथ ही प्रतिदिन के व्यय पक्ष सम्बन्धी कोई भी वाउचर सामान्य रोकड़वही के साथ प्रस्तुत न कराए जाने से दैनिक आय-व्यय की सम्परीक्षा का कार्य अनावश्यक रूप से बाधित रहता है। सम्परीक्षा द्वारा प्रेषित साधारण आपत्तियों संख्या-12 दिनांक 14.6.2013, 13 दिनांक 18.6.2013, 15 दिनांक 21.6.2013, 16 दिनांक 22.6.2013, 17 दिनांक 22.6.2013, 18 दिनांक 27.6.2013, 40 दिनांक 15.7.2013, 44 दिनांक 7.8.2013, 47 दिनांक 23.8.2013, 42 दिनांक 19.9.2013, 43 दिनांक 27.9.2013, 62 दिनांक 27.9.2013, 50 दिनांक 29.10.2013, 51 दिनांक 29.11.2013, 69 दिनांक 28.2.2014 एवं विशेष आपत्ति संख्या-4 दिनांक 10.12.2013 के लेखा विभाग को प्रेषित किये जाने के पश्चात भी लेखा नियमावली की अवहेलना निरन्तर जारी है। यह

स्थिति उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 व उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली 1960 के प्राविधानों की अवहेलना है।

ख- <u>रोकड़ वही के लेखांकन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में-</u> सामान्य रोकड़ वही के परीक्षण में पाया गया कि दिनांक 9.9.2013 को एवं अनवरत रूप से आवासीय एवं व्यावसायिक दोनों की आय को सम्मिलित रूप से बजट हैड कोड 1100101 में दर्शाया गया/जा रहा है। जबकि आवासीय आय के लिये 1100102 निर्धारित किया गया है। साथ ही टैण्डर फार्म की बिक्री से प्राप्त आय के लिये बजट हैड कोड 1501101 है, जबकि Obsolete Stores से प्राप्त आय के लिये बजट हैड कोड 1501201 निर्धारित किया गया है। जबकि दोनों की आय को एक ही बजट हैड कोड 1501201 में दर्शाया गया है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसे सम्परीक्षा द्वारा लेखा विभाग को साधारण आपत्ति संख्या-46 दिनांक 15.10.2013 द्वारा 57 दिनांक 11.12.2013 द्वारा सूचित किया गया, किन्तु यह अनियमितता अनवरत रूप से जारी है। इसी प्रकार व्यावसायिक कर से प्राप्त आय को बजट हैड कोड 11003 में दर्शाया गया है, जबकि नियमतः इसे बजट हैड कोड 11004 में अंकित किया जाना चाहिए। इसी तरह नगर निगम डिस्पेन्सरी से प्राप्त आय को कोड 1404001 में दर्शाया गया है, जबकि यह बजट हैड कोड Advertisement fee के लिये नियत किया गया है।

(ग) <u>पूर्व सम्परीक्षा किये बिना भुगतान किया जाना-</u>

i. सोनी डिटेक्टिव एण्ड एलाइड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को 26 कम्प्यूटर आपरेटरों को बाउचर नं0-6152 दिनांक 7.10.2013 द्वारा धनांक रू0 3,10,249/- का भुगतान बिना पूर्व सम्परीक्षा के किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सा0आ0सं0-52 दिनांक 2.12.2013 लेखा विभाग को प्रेषित किये जाने के बावजूद भी अवहेलना जारी है।

ii. लेखा विभाग द्वारा खरीदे गये बायोमैट्रिक मशीन एवं पेंशन इन्टीग्रेशन साफ्टवेयर के क्रय में वाउचर संख्या-6203 दिनांक 8.10.2013 द्वारा रू0 86,796/- का भुगतान किया गया है, जिसकी पूर्व सम्परीक्षा नहीं कराई गयी है। सा0आ0 संख्या-52 दिनांक 2.12.2013

iii. मै0 ट्रान्सोफ्ट इन्फोटेक को कम्प्यूटर पार्टस की क्रय के ऐवज में वाउचर संख्या-7669 दिनांक 25.11.2013 के द्वारा फर्म को भुगतान किया गया है, जिसकी पूर्व सम्परीक्षा नहीं कराई गयी है। सा0आ0सं0-68 दिनांक 29.1.2014

iv. नगर निगम, आगरा द्वारा जलकल विभाग आगरा को विभिन्न उपकरणों की खरीद हेतु SULBHA ENTERPRISES बेलनगंज, आगरा को 04 नग CI Split Caller की खरीद हेतु धनांक 316404.00 तथा विभिन्न उपकरणों की खरीद हेतु Enbiromental Techmo धूलियागंज, आगरा को रू0 890834.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान का बजट में प्राविधान था या नहीं तथा भुगतान किस बजट हैड से किया गया है। टैण्डर प्रक्रिया अपनाई गयी या नहीं तथा स्टॉक आपूर्ति का सत्यापन स्टॉक बुक से किया गया या नहीं आदि विभिन्न बिन्दुओं की जाँच हेतु भुगतान की पूर्व सम्परीक्षा नहीं कराई गयी है। यह स्थिति नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। सा0आ0सं0-61 दिनांक 4.1.2014

v. उपरोक्त की भाँति नगर निगम आगरा जलकल विभाग को 6(छः) पम्पों की खरीद हेतु वाउचर संख्या-7292 दिनांक 13.10.2013 चैक नं0-863558 के द्वारा Bhartiya Engine vs Aligarh को धनांक रू0 4644360/- का भुगतान किया गया है। यह भुगतान 13वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से किया गया है। यह धनराशि टी0एफ0सी0 के प्राविधानों के अनुरूप ही खर्च की गयी है, के सत्यापन हेतु भुगतान को पूर्व सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। सा0आ0सं0-69 दिनांक 28.2.2014

(घ) देयकों की भुगतान से पूर्व सम्परीक्षा के समय विदित हुआ कि लेखा विभाग द्वारा नगर महापालिका अधिनियम की धारा 327, 33 तथा 150 व लेखा नियमावली के नियम 38(1) के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्यवाही अथवा प्रक्रिया की अनुपालना देखे बिना देयकों को पूर्व सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कार्य प्रणाली अनियमित एवं आपत्ति जनक है। नियमानुसार देयकों को पूर्व सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व देयकों की जाँच लेखा विभाग द्वारा लेखा नियमों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र लेखाधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए कि देयक की जाँच की गयी तथा सही पाया गया, तदुपरान्त ही देयक को पूर्व सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परन्तु लेखा विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण देयकों के भुगतान में विलम्ब तथा किसी भी समय अनियमित भुगतान से आर्थिक क्षति की संभावना है।

(ड) अनियमित भुगतान-

i. नगर निगम के विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जा रहे मोबाइल का मार्च 2013 का भुगतान देयक संख्या-87768 का भुगतान वाउचर संख्या-643 दिनांक 26.4.2013 के द्वारा किया गया है। सम्बन्धित भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने के कारण रिलायन्स कम्पनी को किये गये भुगतान का सत्यापन न हो सका। यह स्थिति नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है तथा लेखा नियमावली का भी उल्लंघन है। सा0आ0सं0-4 दिनांक 9.5.2013

ii. दूरभाष संख्या-2521607 के बिल का भुगतान धनांक 1274.00 वा0सं0-6715 दिनांक 25.10.2013 के द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड को किया गया है। भुगतान के आकस्मिक बिल में नगर आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 24.10.2013 अंकित है। परन्तु साथ में कम्पनी का दूरभाष बिल संलग्न नहीं है, जिससे यह

स्पष्ट नहीं होता कि यह भुगतान किस अवधि का है तथा इससे भुगतान की प्रमाणिकता भी संदिग्ध होती है। सा0आ0सं0-52 दिनांक 21.12.2013

iii. मुख्य अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के राजकीय कार्य हेतु प्राईवेट वाहन से लखनऊ की यात्रा के सापेक्ष बिल संख्या-362 व 363 द्वारा कुल धनाक 15027.00 का भुगतान वाउचर संख्या-7038 द्वारा दिनांक 31.10.2013 को सफारी टैक्सी सं0-ई-112 कमलानगर, आगरा को किया गया है। अधिकारी किस राजकीय कार्य हेतु यात्रा पर गये यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही रेल से जुड़े दो स्थानों के बीच यथा संभव ट्रेन से ही यात्रा की जानी चाहिए। Emergency की स्थिति में एवं प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त ही प्राइवेट वाहन का उपयोग होना चाहिए। सम्बन्धित भुगतान की पूर्व सम्परीक्षा न होने से उक्त बिन्दुओ का सत्यापन न हो सका। यह स्थिति नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। सा0आ0सं0-53 दिनांक 21.12.2013

iv. प्रसाद कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसियेट (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) को सर्विस टैक्स से सम्बन्धित मुकदमों की Delhi Tribunal में पैरवी हेतु व्यक्तिगत एवं केस फीस के ऐवज में वाउचर संख्या-906 दिनांक 16.4.2013 के द्वारा धनांक 68,845/- का भुगतान किया गया है। उपरोक्त व्यय की पूर्व सम्परीक्षा नहीं कराई गयी है। सम्बन्धित ने अपनी फीस के 50 प्रतिशत के रूप में 45000.00 चार्ज किया है अर्थात इनकी फीस किसी केस के लिये क्या 90,000.00 है? इनकी फीस हेतु सम्बन्धित एवं नगर निगम के बीच कोई लिखित करारनामा है कि नहीं। इनके द्वारा नगर निगम को किन-किन क्षेत्रों में सेवाऐं प्रदान की जा रही है और वह कितने समय तक चलेंगी। अतः भुगतान पूर्व ऑडिट न होने तथा उपरोक्त पत्रजातों को उपलब्ध न कराया जाना नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। सा0आ0सं0-29, दिनांक 6.8.2013, सा0आ0सं0-13 दिनांक 1.7.2013

v. सोनी डिटेक्टिव एण्ड एप्लाईड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराये गये 27 डाटा एन्ट्री आपरेटर के माह मई 2013 के पारिश्रमिक के रूप में सम्बन्धित फर्म को बिल संख्या-00179 दिनांक 1.6.2013 के द्वारा धनांक रू. 324123.00 का भुगतान किया गया है। शासनादेशानुसार (7 दिसम्बर 2010) किसी कार्य विशेष को एक निश्चित अवधि में सम्पादित करने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्पष्ट कार्य संविदा (वर्क कॉन्ट्रैक्ट) की शर्तों के आधार पर कराया जायेगा है अर्थात उक्त ऑपरेटर किन-किन कार्यों में लगे है और कब तक कार्य करेंगे। इन पर लगभग 40 लाख सालाना का व्ययभार आ रहा है। जो कि नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। सा0आ0सं0-29 दिनांक 6.8.2013, सा0आ0सं0-52 दिनांक 2.12.2013

vi. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन से डीजल खरीद एवं अन्य मदों के लिये 1.4.2012 से 31.3.2013 तक कुल धनांक रू0 46499589.00 का अस्थायी अग्रिम दिया गया। इस अस्थाई अग्रिम में से धनराशि रू0 659949.00 का समायोजन नहीं कराया गया है। सा0आ0सं0-26 दिनांक 12.7.2013

vii. लेखा विभाग द्वारा वायोमैट्रिक मशीन एवं पेंशन इन्टीग्रेशन साफ्टवेयर की खरीद हेतु वाउचर संख्या-6203, दिनांक 8.10.2013 के द्वारा धनांक रू0 86796.00 का व्यय किया गया है। इस खरीद हेतु कुटेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी, जिससे नगर निगम प्रतिस्पर्धी दरों से वंचित हुआ और आर्थिक क्षति हुई। सा0आ0सं0-52 दिनांक 21.12.2013

viii. लेखा विभाग द्वारा वाउचर संख्या-6910 दिनांक 30.10.2013 चैक संख्या-863550 (PNB) द्वारा धनांक 316404.00 एवं वाउचर संख्या-6911 दिनांक 30.10.2013, चैक संख्या-863551 द्वारा टूथपरमेन्टल टैक्नोलॉजी को धनांक रू0 890834.00 का भुगतान किया गया है। इस भुगतान की लेखा विभाग द्वारा पूर्व सम्परीक्षा नहीं कराई गयी है तथा सम्परीक्षा विभाग द्वारा

सा0आ0सं0-52 दिनांक 2.12.2013 के प्रेषण के पश्चात भी विभाग द्वारा सम्बन्धित पत्रावली एवं पत्रजात सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति की संभावना बनी रहती है।

ix. जलकल विभाग आगरा को 6(छः) Jyoto 10000 LP discharge 100 HP UT Pump की खरीद हेतु Bhartiya Engineers Aligarh को वाउचर संख्या-7292 दिनांक 13.11.2013 चैक संख्या-863558 के द्वारा धनांक रू0 4644360.00 का भुगतान लेखा विभाग द्वारा किया गया है। उक्त भुगतान की पूर्व सम्परीक्षा नहीं कराई गयी है तथा सा0आ0सं0-69 दिनांक 28.2.2014 के द्वारा सम्परीक्षा विभाग द्वारा उठाये गये प्रश्नों का समुचित उत्तर भी सम्बन्धित विभाग द्वारा नही दिया गया है। उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली व समस्त पत्रजात उपलब्ध न कराये जाने से निगम को आर्थिक क्षति की संभावना बनी रहती है।

## निर्माण विभाग

1. एकल निविदा के आधार पर कार्यों का निष्पादन कराया जाना।

   i. हरीपर्वत वार्ड विजय नगर कॉलौनी में बंजतिया कुये के दो साइड वाउण्ड्रीवाल एवं फर्श के निर्माण कार्य हेतु धनांक 72900.00 का आगणन तैयार किया गया एवं प्रथम बार आमंत्रित निविदा में मात्र एक निविदा (2 प्रतिशत कम 71442) प्राप्त होने पर ही कार्य कराया गया है। पुनः निविदा भी नहीं कराई गयी है। ऐसी स्थिति मे निगम प्रतिस्पर्धी दरों से वंचित रह गया जो कि नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। सा0आ0सं0 65 दिनांक 29.1.2014

   ii. हरीपर्वत जोन-1 कक्ष संख्या-20 में तुलसीवाग में आर0पी0एस0 राघव के मकान के सामने पार्क का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण। उक्त

कार्य हेतु धनांक रू0 479100.00 का आगणन तैयार किया गया और मात्र एक निविदा (2% below 469518) के आधार पर कार्य कराया गया जो कि निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है।

iii.

A. छत्ता जोन कक्ष संख्या-85 कचहरी घाट शीरे वाली चौक में नाली एवं सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य/आगणन धनांक रू0. 604800.00 निविदा (2.01% below 592643.52) मात्र एक निविदा।

B. छत्ता जोन कोतवाली वार्ड कक्ष संख्या-76 में लेडी लायल अस्पताल के गेट के सामने प्लेट फार्म का कार्य आंगणन 507074.00 मात्र एक निविदा (02 प्रतिशत कम 496932.52, प्रेम कन्स्ट्रक्शन)

C. छत्ता जोन कोतवाली वार्ड संख्या-76 नूरी नरवाजा में मकान नं0-15/161 से 15/175 तक फर्श व नालियों का निर्माण कार्य मात्र एक निविदा/आगणन 449800.000 निविदा 3.786 प्रतिशत कम 432770.00 उपरोक्त तीनों कार्य एकल निविदाओं के आधार पर कराये गये है, जो कि टैण्डर नियमावली एवं नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। सा0आ0सं0-65 दिनांक 29.1.2014

iv. हरीपर्वत वार्ड कमलानगर में एडीडास शोरूम व अरविन्द मेडिकल स्टोर से तेजनगर को जाने वाले मार्ग तथा योगेश्वरी मंदिर मोड़ बी-578 के पास पुलिया का निर्माण कार्य/आगणन 282375.00 मात्र एक निविदा (4.4% below 269950.00) के आधार पर कार्य कराया गया। सा0आ0सं0-65 दिनांक 29.1.2014

v. छत्ता जोन कोतवाली वार्ड कक्ष संख्या-56 में पार्षद कारखाने के पास से 4/3ए रशीदउद्दीन के मकान तक नाले के किनारे तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य/आगणन 470700.00 मात्र एक निविदा (VN constr. 1.26% below 464769) पर कार्य कराया गया। सा0आ0सं0-70 दिनांक 6.3.2014

vi. शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-53 में अलवतिया में सॉवरिया प्रोवीजन स्टोर से श्री वीरी सिंह के घर तक गली व इण्टर लॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य/आगणन 590100.00 प्रथम वार में आमंत्रित मात्र एक निविदा के आधार पर कार्य कराया गया। सा0आ0सं0-59 दिनांक 27.12.2013

vii. रकाबगंज वार्ड कक्ष संख्या-61 में कुम्हार पाडा स्थित वाल्मीकि वाटिका की रंगाई पुताई का कार्य/आगणन 17980.00 एकल निविदा पर कार्य हुआ। सा0आ0सं0-58 दिनांक 17.12.2013

| | |
|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2013-14 में एकल निविदा के आधार पर विभिन्न वार्डों में उक्त कार्य(9) कराये गये। | एकल निविदा के आधार पर कराये गये कार्यों की कुल धनराशि- 3400000.00 (रू0 चौंतीस लाख) |

2. नियमानुसार जमा होने वाली जमानत धनराशि व परफार्मेस गारण्टी में अनियमितताओं का पाया जाना।

1. छत्ता जोन कक्ष संख्या-37 के0के0 नगर गली नं0-6 में रामेश्वर दयाल के मकान से अनिल कुमार जैन के मकान तक इण्टर लॉकिंग फर्श का निर्माण कार्य/आगणन धनांक रू0 321900.00/निविदा ठाकुर जी कन्स्ट्र. 23.10 प्रतिशत कम रू0 247541.00 इस कार्य के प्रथम एवं

अंतिम बिल की सम्परीक्षा के मध्य विदित हुआ कि पत्रावली में संलग्न इन्टीमेशन/वर्क ऑर्डर केअनुसार ठेकेदार को जमानत धनराशि रू0 24750.00 एवं परफारमेंस गारण्टी के रूप में 44800.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 69550.00 को जमानत धनराशि के रूप में जमा करना था। किन्तु ठेकेदार द्वारा मात्र 60000.00 की एफ.डी.आर. ही विभाग में जमा की गयी। अतएव ठेकेदार द्वारा लगभग रू0 10000.00 जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी। जो कि नियमानुकूलनहीं है। सम्परीक्षा द्वारा वार-वार सूचितकिये जाने पर भी निर्माण विभाग द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक गम्भीर प्रकरण है। सा0आ0संख्या-60 दिनांक 2.1.14

2. एम0वी0नं0-1610/12-13 से मै0 प्रतिभा यादव द्वारा हरीपर्वत वार्ड कमलानगर मे रोड साइड की पटरी के सुधार हेतु भुगतान देयक प्रस्तुत किया गया। आगणन 166550.00 स्वीकृत/निविदा 33.45 प्रतिशत निम्न पर धनांक 110831.00 ठेकेदार द्वारा विभाग मे जमा की जाने वाली जमानत राशि रू0 48159.00 किन्तु ठेकेदार द्वारा कुल रू0 42600.00 की राशि जमा की गई अर्थात कुल धनांक 5559.00 कम जमा किये गये। उक्त के बावजूद भी निर्माण विभाग तथा लेखा विभाग द्वारा भी पत्रावली को सम्परीक्षा में भेज दिया गया। सम्बन्धित विभाग को सूचित किये जाने के उपरान्त भी स्थिति में परिवर्तन नहीं दिख रहा है। यह स्थिति निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है एवं नियमों का उल्लघंन भी है। सा0आ0सं0-12 दिनांक 28.6.2013

3. एम.वी.नं0-1725/13-14 से ए0पी0 कन्स्ट्रक्शन द्वारा शाहगंज वार्ड के कक्ष संख्या-26 में सड़क निर्माण के लिये भुगतान देयक प्रस्तुत किया

गया। आगणन धनांक 668000.00 स्वीकृत निविदा 26 प्रतिशत निम्न धनांक 494320.00।

जमा की जाने वाली जमानत धनराशि- 177000.00

ठेकेदार द्वारा जमा की की धनराशि- 160000.00

कम जमा की गई धनराशि रू0 - 17000.00

उक्त धनराशि कम जमा होने एवं सम्परीक्षा विभाग द्वारा अनेकों आपत्ति उठाये जाने के बावजूद भी निर्माण व लेखा विभाग द्वारा ध्यान आकर्षित नहीं किया जा रहा है। जो कि एक गम्भीर प्रकरण हैं सा0आ0सं0-8 दिनांक 19.6.2013

4. एम0बी0नं0-1648/12-13 से0वी0एन0 कन्स्ट्रक्शन द्वारा छत्ता जोन के कोतवाली वार्ड में मस्जिद के पास हवेली कबीर खॉं मे सड़क मरम्मत के कार्य के लिये भुगतान देयक प्रस्तुत किया गया। आगणन 158300.00 (स्वीकृत निविदा 13.13 प्रतिशत कम पर धनांक रू0 137515.00)

उक्त कार्य हेतु जमा की जाने वाली जमानत धनराशि रू0 31628.00

ठेकेदार द्वारा जमा की गई कुल जमानत धनराशि 17500.00

अतः ठेकेदार द्वारा जमा की गई कम जमानत धनराशि 14128.00

सा0आ0सं0-5 दिनांक 12.6.2013

5. एस0बी0नं0-1731/13-14 से अग्रसेन इन्टरप्राइजेज द्वारा ताजगंज में गली में सुधार का भुगतान देयक प्रस्तुत किया गया। आगणन धनांक रू0 748500(स्वीकृत निविदा 22.56 प्रतिशत निम्न पर धनांक 579638.00)

उक्त कार्य हेतु जमा की जाने वाली जमानत धनराशि- 188730.00

ठेकेदार द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि- 168000.00

ठेकेदार द्वारा जमा की गई कम जमानत धनराशि रू0 20730.00
सा0आ0सं0-5 दिनांक 12.5.2013

6. ताजगंज जोन-2 टैगोर पब्लिक स्कूल के निकट सैमरी रोड की ओर से धर्मेन्द्र त्यागी के मकान तक नाली एवं फर्श के निर्माण कार्य का प्रथम चालित बिल रू0 258000.00 दिनांक 11.6.2013 को सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। आगणन धनांक रू0 892800.00(निविदा 22.61 प्रतिशत कम 690937.00) एग्रीमेण्ट के अनुसार कुल जमानत धनराशि 69100.00 के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा केवल 18000.00 की धनराशि ही जमानत के रूप में जमा की गई। यह एक गम्भीर प्रकरण है, जिस पर सम्परीक्षा द्वारा सा0आ0स0 दिनांक 12.6.2013 द्वारा निर्माण विभाग को पूर्ण जमानत राशि जमा कराने हेतु (अन्तिम भुगतान से पूर्व) ध्यानाकर्षण भी कराया गया है। कम जमा की गई धनराशि-51000.00
7. एम0बी0नं0-1553/12-13 से एस0जी0आर0 कन्स्ट्रक्शन द्वारा जोन-III के भोगीपुरा क्षेत्र में वाल्मीकि बगीची की वाउण्ड्रीवाल के निर्माण के लिये भुगतान देयक प्रस्तुत किया गया। आगणन-77700.00(निविदा 68958.00 11.25 प्रतिशत निम्न पर)
विभाग में जमा होने वाली जमानत धनराशि 14481.00
ठेकेदार द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि 12000.00
कम जमा की गई जमानत धनराशि 2481.00
सा0आ0सं0-01 दिनांक 18.4.2013
8. मै0 वी0एन0 कन्स्ट्रक्शन (एम0बी0 नं0-1522/2012-2013) आगणन धनांक रू0-736000.00(स्वीकृत निविदा धनांक रू0 676531.00 आगणन से 8.08 प्रतिशत कम पर) उक्त कार्य हेतु-
विभाग में जमा की जाने वाली जमानत धनराशि रू0 94714.00

ठेकेदार द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि रू0 60000.00

कम जमा होने वाली जमानत धनराशि 34714.00

सा0आ0सं0-1 दिनांक 18.4.2013

9. मै0 भारद्वाज बिल्डर्स (MBNo.325/B-14) द्वारा हरीपर्वत वार्ड में गली निर्माण हेतु भुगतान देयक प्रस्तुत किया गया। आगणन-284500 (निविदा 18.18 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 232777.90) उक्त कार्य हेतु जमानत धनराशि एवं परफार्मेन्श गारण्टी के रूप में कुल 53957.00 रू0 जमा किये जाने थे, किन्तु ठेकेदार द्वारा कुल 44900.00 धनराशि जमानत के रूप में जमा की गई है। अर्थात कुल रू0 9057.00 की जमानत धनराशि कम जमा की गई फिर भी विभाग द्वारा देयक को भुगतान हेतु लेखा विभाग को प्रस्तुत किया गया और लेखा विभाग ने भी बिना ध्यान दिये देयक को सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया। सा0आ0सं0-44 दिनांक 27.9.2013

10. जयमाई कन्स्ट्रक्शन द्वारा छत्ता जोन के रकाबगंज क्षेत्र में अम्बेडकर वाटिका की रंगाई पुताई के कार्य हेतु (आगणन धनांक 61962.00, निविदा 0.5 प्रतिशत निम्न पर 61653.00) कुल जमानत राशि रू0 6200.00 जमा की जानी थी। यद्यपि ठेकेदार द्वारा कुल रू0 2000.00 जमानत राशि के रूप में जमा किये गये जो कि रू0 4200.00 कम है। फिर भी विभाग द्वारा भुगतान देयकों को प्रस्तावित कर दिया गया जो कि एक गम्भीर प्रकरण है। सा0आ0सं0 39 दिनांक 13.9.2013

11. मैसर्स एम0पी0कन्स्ट्रक्शन द्वारा जोन-2 ताजगंज के कक्ष संख्या-38 में नाली व इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु (MBNoO. 1768/13-14 आगणन धनांक 988000.00, निविदा 20 प्रतिशत निम्न 790400.00) कुल जमानत धनराशि रू0 237120.00 होती है, जबकि फर्म द्वारा मात्र

201900.00 की राशि जमा की गई जो कि रू0 35220.00 कम है। यह स्थिति नियमों का उल्लघंन है तथा निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। सा0आ0सं0-33 दिनांक 4.9.2013

12. जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-74 में नंद बाजार में सूरज हलवाई की दुकान से कसरैट बाजार तक फर्श का निर्माण कार्य आगणन धनांक रू0 991500.00 निविदा 15.11 प्रतिशत निम्न धनांक रू0 841684.00 लकी कॉन्ट्रैक्टर इस कार्य हेतु जमानत एवं पर फार्मेस गारण्टी की धनराशि के रूप में कुल धनराशि रू0 170000.00 जमा की जानी थी, जिसके सापेक्ष केवल 85000.00 रू0 की धनराशि जमा की गयी है। अर्थात मात्र आधी ही जमानत धनराशि जमा की गई, यह एक गम्भीर प्रवृत्ति का विषय है और सा0आ0सं0-25 दिनांक 9.7.2013 द्वारा विभाग को सूचित किये जाने के बावजूद भी ऐसी कमियाँ बार-बार दृष्टि गोचर हो रही हैं।

| | |
|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2013-2014 में सम्परीक्षा विभाग द्वारा उक्त बारह प्रकरणों में कम जमानत धनराशि व परफार्मेस गारण्टी जमा होने के सम्बन्ध में निर्माण विभाग को साधारण आपत्ति लिखकर भविष्य में सुधार हेतु सूचित किया गया। यद्यपि स्थिति जस की तस है। | कम जमा की जाने वाली जमानत धनराशि का योग-289000.00 |

3. ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण न किया जाना-

i. ताजगंज जोन-2 टैगोर पब्लिक स्कूल के निकट सैमरी रोड की ओर से धर्मेन्द्र त्यागी के मकान तक नाली एवं फर्श निर्माण कार्य। (आगणन 892800, निविदा 22.61 कम रू0 690937.00) अनुबन्ध के अनुसार यह कार्य 16.3.2012 को समाप्त होना था। किन्तु सम्बन्धित कार्य का प्रथम रनिंग बिल ही दिनांक 11.6.2013 को प्रस्तुत किया गया, किन्तु दूसरी ओर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत समय वृद्धि एवं समयवद्ध कार्य न करने की स्थिति में अर्थदण्ड जैसी किसी भी कार्यवाही से सम्बन्धित कोई भी पत्राजात पत्रावली में संलग्न नहीं था। यह स्थिति नियमानुकूल नहीं है और नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। सा0आ0सं0-5 दिनांक 12.6.2013

ii. जोन-2 ताजगंज कक्ष संख्या-74 में नंद बाजार में सूरज हलवाई की दुकान से कसरैट बाजार तक फर्श का निर्माण कार्य। (आगणन धनांक रू0 991500.00 निविदा धनांक रू0 841684.00 15.11 प्रतिशत कम, लकी कॉन्ट्रैक्टर) इस कार्य के प्रथम चलित बिल की सम्परीक्षा के मध्य से विदित हुआ कि वर्क ऑर्डर संख्या-51/TW/BBCNS/12-13 के आधार पर उक्त कार्य को दिनांक 3.11.2012 तक पूर्ण होना था, किन्तु उक्त कार्य का प्रथम रनिंग बिल ही दिनांक 4.7.2013 को प्रस्तुत किया गया। किन्तु समय वृद्धि एवं अर्थदण्ड से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का कोई भी पत्रजात पत्रावली में संलग्न नहीं था। यह बिन्दु गम्भीर प्रकृति का है और निर्माण विभाग को सा0आ0सं0-35 दिनांक 9.7.2013 के द्वारा सूचित किये जाने के वावजूद भी यह कार्य बार-बार दृष्टिगोचर हो रहा है।

iii. कटरा काछियान में राकेश जैन के मकान से धर्मशाला होते हुए आंतरिक गलियों में सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। (आगणन 897573.00) निविदा 12.56 प्रतिशत कम रू0 784837.00 अग्रसेन इण्टरप्राइजेज) इस कार्य के अंतिम भुगतान की सम्परीक्षा के मध्य विदित हुआ कि उक्त कार्य को दिनांक 31.1.2013 तक पूर्ण होना था, किन्तु यह कार्य दिनांक 17.10.2013 को समाप्त हुआ। यद्यपि ठेकेदार पर रू0 3000.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। फिर भी कार्य को समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण न करने की स्थिति कार्य की गुणवत्ता एवं नगर निगम के आर्थिक हितों को प्रभावित करती है। सा0आ0सं0-65 दिनांक 29.1.2014

ऐसी अनियमितताओं को वार-वार इंगित किये जाने के वावजूद भी विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है।

4. अन्य अनियमिततायें-

i. शहर में भिन्न-भिन्न स्थलों पर स्थित वाटर पम्पों से सम्बन्धित लॉग बुकों का उपलब्ध न कराया जाना-वाटर पम्पों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ताल फिरोज खॉं | - | 14 HP |
| 2. | बड़ा उखर्रा | - | 19 HP, 20 HP |
| 3. | सेवला पोखर | - | 8HP, 19 व 20 HP |
| 4. | नगला परसोती | - | 10 HP |
| 5. | भीमनगर | - | 8 HP |
| 6. | सिकन्दरा | - | 32, 14 HP |
| 7. | नगला अजीता | - | 8HP |
| 8. | हामिद नगर | - | 20 HP, 20 HP |

9. सोहल्ला - 8 HP

डीजल देयकों की सम्परीक्षा के मध्य ज्ञात हुआ कि उपरोक्त वाटर पम्पों को प्रतिदिन डीजल निर्गत किया जा रहा है। इन वाटर पम्पों के आपरेटरों द्वारा प्रतिदिन डीजल प्राप्त कर क्या विभागीय कार्य सम्पादित किया जा रहा है, इससे सम्परीक्षा अनभिज्ञ है। जल भराव क्या वर्ष भर रहता है और क्या पम्प प्रतिदिन संचालित होते हैं। सत्यापन हेतु लागबुक सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। सा0आ0सं0-65 दिनांक 29.1.2014

ii. <u>रोड रोलर से सम्बन्धित लॉग बुकों को प्रस्तुत न किया जाना-</u> सा0आ0सं0-63 दिनांक 4.1.2014

iii. <u>इण्टर लॉकिंग टाइल्स की गुणवत्ता की रिपोर्ट संलग्न किये बिना भुगतान की प्रक्रिया सम्पादित किया जाना-</u> श्रेया कन्स्ट्रक्शन द्वारा छत्ता जोन के कक्ष संख्या-46 में इण्टर लॅकिंग कार्य किया गया है। कार्यावधि दिनांक 5.8.2013 से 10.9.2013 तक थी। आगणन धनांक 495500.00 निविदा 12 प्रतिशत कम धनांक रू0 435990.00/MBNO.1849/13-14/वर्णित कार्य का भुगतान इण्टरलॉकिंग टाइल्स की गुणवत्ता की जॉच रिपोर्ट के बिना ही प्रस्तुत किया गया। यह स्थिति नियमों के प्रतिकूल होने के साथ ही निगम के आर्थिक हितों के विपरीत भी है। सा0आ0सं0-44 दिनांक 27.9.2013

iv. <u>मीजरमेण्ट बुक (MB) में ओवर राइटिंग का किया जाना-</u>शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या-69 काछियान मोहल्ला में श्यामवक्श बकील के घर से मार्केण्डेय आश्रम होते हुए रविन्द्र कौर के मकान तक नाली एव सड़क सुधार कार्य का आगणन 935576.00 निविदा 13.6प्रतिशत

क्रम 808337.00 श्रेया कन्स्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत हुआ था। उक्त कार्य के प्रथम चलित विल की सम्परीक्षा के मध्य विदित हुआ कि MBNO. 323/13-14 के item No.5 में मोटाई के औसत में .10 को .12 Over write किया गया प्रतीत होता है, जिससे उक्त item की माप लगभग 7 मीटर बढ़ गई है। यह स्थिति नियमों के प्रतिकूल तथा निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। सा0आ0 संख्या-40 दिनांक 16.9.2013

v. छत्ता जोन कक्ष संख्या-24 टेडी बगिया 100 फुटा रोड नाले से चोखे लाल टेन्ट हाउस तक सी0सी0 फर्श का निर्माण कार्य। (MBNO. 1767/213-14) उक्त कार्य के प्रथम चलित बिल की सम्परीक्षा के मध्य विदित हुआ कि आइटम-डिसमैल हिना ऑफ RCC Slab by chain pully and refixing of old slap in lining जो कि Extra item है, की दर Abtract of cost. extra item form and bill form तीनों जगह 5000.00 को over write कर 8000.00 किया गया है। उक्त item की वास्तविक दर क्या है, इससे सम्परीक्षा अनभिज्ञ रहा। यह स्थिति नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत हैं। सा0आ0 सं0-39 दिनांक 3.9.2013

vi. <u>निर्माण स्टोर में ग्रिट, सेण्ड, लकड़ी बिटुमिन व खाली बोरों आदि की आपूर्ति व उसके उपयोग की जाँच हेतु स्टॉक बुक (इन्डेन्ट सहित) का सम्परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना-</u> बाढ़ के खतरे से बचाव हेतु खाली बोरों एवं लोकल सैण्ड की आपूर्ति हेतु रू0 10,000.00 का व्यय किया गया है। किन्तु देयक में न तो बिल क्रमांक अंकित है और न ही आपूर्तिकर्ता कम्पनी MP Construction का Tan No. ही बिल पर अंकित है तथा इसकी स्टॉक एन्ट्री भी

नहीं की गई है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। सा0आ0सं.-16 दिनांक 11.7.2013

vii. निर्माण विभाग को विभिन्न श्रोतों जैसे-मलवा, रोड कटिंग, टेण्डर मूल्य आदि विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली आय की सम्परीक्षा न कराया जाना। अन्ततः निर्माण विभाग सम्बन्धी उल्लिखित सम्पूर्ण विषय गम्भीर प्रकृति के हैं, जिन पर विभाग द्वारा समुचित ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है।

## कर विभाग

**1. सामान्य कर से सम्बन्धित अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत न किया जाना:-**

सामान्य कर से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2012-13 के समस्त अभिलेखों को सम्परीक्षा में उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रभारी अधिकारी को निरन्तर पत्र प्रेषित किए गए है, किन्तु वांछित अभिलेख जिनका विवरण निम्नलिखित है, उपलब्ध नहीं कराए गए हैं:-

1. वित्तीय वर्ष 2012-13 की माँग एवं समाहरण पंजी।
2. वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्धारित किए गए आवासीय/व्यावसायिक भवनों के कर निर्धारण से सम्बन्धित पत्रावलियां।
3. वित्तीय वर्ष 2012-13 में नामांतरण से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां।

उक्त अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित पत्रों का विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र.सं0 | वार्ड | पत्रांक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | हरीपर्वत | 6/डी/मु.न.ले.प./13 | 3/5/2013 |
| 2. | छत्ता | 10/डी/मु.न.ले.प./13 | 3/5/2013 |
| 3. | ताजगंज | 22/डी/मु.न.ले.प./13 | 3/5/2013 |
| 4. | रकाबगंज | 21/डी/मु.न.ले.प./13 | 3/5/2013 |
| 5. | लोहामण्डी | 17/डी/मु.न.ले.प./13 | 3/5/2013 |
| 6. | कोतवाली एवं वार्ड-7 | 13/डी/मु.न.ले.प./13 | 3/5/2013 |
| 7. | हरीपर्वत | 90/डी/मु.न.ले.प./13 | 30/11/2013 |
| 8. | छत्ता | 91/डी/मु.न.ले.प./13 | 30/11/2013 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | ताजगंज | 92/डी/मु.न.ले.प./13 | 30/11/2013 |
| 10. | रकाबगंज | 93/डी/मु.न.ले.प./13 | 30/11/2013 |
| 11. | लोहामण्डी | 95/डी/मु.न.ले.प./13 | 2/12/2013 |
| 12. | कोतवाली | 94/डी/मु.न.ले.प./13 | 2/12/2013 |

उक्त अभिलेखों को सम्परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाना एक गम्भीर प्रकरण है तथा नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। यह स्थिति उ0प्र0नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 144(1) के प्राविधानों के विपरीत भी है।

विशेष आपत्ति संख्या-2 दिनांक 18/05/2013

विशेष आपत्ति संख्या-4 दिनांक 10/12/2013

2. **राजस्व निरीक्षकों द्वारा गृहकर से सम्बन्धित आय पुस्तिकाओं (फार्म नं0-2) को प्रतिदिन सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत न किया जाना-**

माह अप्रैल से जून 2013 के अन्तर्गत लोहामण्डी वार्ड के गृहकर के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षकों द्वारा क्या वसूली की गई, वसूली गई धनराशि नियमानुसार वसूली गई अथवा नहीं, उक्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा की गई अथवा नहीं, ऑडिट अनभिज्ञ रहा, क्योंकि अद्योवर्णित राजस्व निरीक्षकों द्वारा वसूली से सम्बन्धित आय पुस्तिकाओं को सम्परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र. सं. | वार्ड का नाम | राजस्व निरीक्षक का नाम |
|---|---|---|
| 1. | लोहामण्डी वार्ड | श्री शैलेन्द्र कुमार राठौर |
| 2. | लोहामण्डी वार्ड | श्री अशोक गौतम |
| 3. | लोहामण्डी वार्ड | श्री शिवदत्त शर्मा |
| 4. | लोहामण्डी वार्ड | श्री पवन बंसल |
| 5. | लोहामण्डी वार्ड | श्री नेमसिंह |
| 6. | लोहामण्डी वार्ड | श्री अशोक सक्सैना |

सा0आ0स014, 1/7/2013 एवं सा0आ0स018, दिनांक 3/7/2013

3. **सामान्य कर विभाग में विभागीय रोकड़बही को सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध न कराया जाना:-**

सामान्य कर विभाग द्वारा विभागीय रोकड़बही सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को पत्र संख्या 27/डी/मु.न.ले.प./13, 41/डी/मु.न.ले.प./13, 42/डी/मु.न.ले.प./13 द्वारा विभागीय रोकड़बही उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई, किन्तु अद्यतन तक उक्त अभिलेख सम्परीक्षा में अनुपलब्ध है, जिससे सम्परीक्षा कार्य बाधित है। लेंखा नियमावली के नियम-10 के अनुसार प्रत्येक विभाग का सम्ब( पदाधिकारी समाहरणों को अपने द्वारा प्रपत्र संख्या-4 में रखी जाने वाली विभागीय रोकड़बही के समुपयुक्त शीर्षकों के अन्तर्गत दर्ज करेगा तथा नियम-11 के अनुसार विभागीय रोकड़बहियों को सामान्य रोकड़बही से जांच पड़ताल और मिलान के लिए उन्हें प्रति सप्ताह लेखाधिकारी को जांच के लिए भेजा जाएगा। लेखाधिकारी इस बात की जांच करेगा कि विभागीय रोकड़ वही में दर्ज धनराशियां यथाविधि जमा की गई है तथा हस्ताक्षर करेगा। लेखाधिकारी माह के अन्त में इस आशय का प्रमाण पत्र और अनुलिखित करेगा कि समस्त विभागीय रोकड़बहियों में दर्ज आय का सामान्य रोकड़ बही में उचित रुप से लेखा दे दिया गया है। कर विभाग द्वारा वसूली गई धनराशि की प्रविष्टि विभागीय रोकड़बही में किया जाना तथा उक्त को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। उक्त का पालन न किया जाना एक गम्भीर प्रकरण है और नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है।

**4. नामांतरण सम्बन्धी पत्राबलियों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत न किया जाना-**

सामान्य कर सम्बन्धी प्रपत्र-2 की रसीदों की सम्परीक्षा करते समय पाया गया है कि जिन रसीदों से नामान्तरण शुल्क लिया जाता है, साथ में विलम्ब शुल्क भी लिया जाता है, किन्तु रसीद में सम्बन्धित भवन के निर्धारित मूल्यांकन की धनराशि अंकित नहीं की जाती है तथा नामान्तरण के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हैं अथवा नहीं? इसका भी उल्लेख नहीं होता है, जिससे प्राप्त किए गए नामान्तरण व विलम्ब शुल्क का सत्यापन नहीं हो पाता है। सम्पत्तियों के स्वामित्व परिवर्तन के लिए नगर निगम के आदेश संख्या 125/डी/एन.ए./आर.आई. दिनांक

16/11/2007 द्वारा सम्पत्तियों के मूल्यांकन तथा (स्वामित्व परिवर्तन हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के बिलम्ब से प्रस्तुत किए जाने पर) विलम्ब शुल्क के कई स्तर निर्धारित किए गए हैं, जिनका उल्लेख रसीद में किया जाना चाहिए तथा पत्रावली परीक्षण हेतु प्रस्तुत होनी चाहिए किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। यह स्थिति नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है एवं लेखा नियमों का उल्लंघन भी है। इसके लिए बार-बार सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

**5. चैक की फोटोप्रति सामान्य रोकड़बही के साथ संलग्न न किया जाना:-**

सामान्य कर की चैक से जमा की जाने वाली आय के परीक्षण हेतु सम्बन्धित चैक की फोटो प्रति सामान्य रोकड़ बही के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है। जबकि रोकड़ बही में मात्र चैक संख्या का उल्लेख किया जाता है। विशेष आ0सं0-40/डी/मु. न.ले.प./13, दिनांक 13/03/2013

## स्वास्थ्य विभाग

**1. स्वास्थ्य स्टोर में आपूर्ति होने व वितरण होने वाले उपकरणों, वस्तुओं व दवाओं आदि से सम्बन्धित स्टाक बुकों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत न किया जाना:-**

स्वास्थ्य विभाग के स्टोर में प्राप्त होने वाली एवं शहर की सफाई व्यवस्था हेतु वितरित की जाने वाली वस्तुओं, उपकरणों व कैमीकल्स आदि से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर, इन्डेन्ट आदि प्राप्ति व वितरण के उपरान्त सत्यापन हेतु सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। आडिट सूचना भेजने के उपरान्त भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। यह स्थिति नगर निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल है तथा लेखा नियमावली का उल्लंघन भी है। सा0आ0सं0 55, दिनांक 02/12/2013

**2. कूड़ा निस्तारण से सम्बन्धित वाहनों को देय डीजल/पेट्रौल से सम्बन्धित लॉगबुकों का उपलब्ध न कराया जाना:-**

डीजल/पेट्रौल देयकों की सम्परीक्षा के मध्य विदित हुआ कि स्टाफ कारों, जीपों व कूड़ा वाहनों को प्रतिमाह बड़ी मात्रा में डीजल/पेट्रौल आवंटित किया जा रहा है।

सम्बन्धित कूड़ा वाहनों द्वारा खत्ताघर तक कितने फेरे लगाए गए, इसके सत्यापन हेतु लॉगबुकों का उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा डीजल/पेट्रौल के दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। सा0आ0सं0 35, दिनांक 13/09/2013, एवं सा0आ0सं0 7, दिनांक 06/03/2014

3. <u>वाहनों के पंजीकृत नम्बरों को अंकित न किया जानाः-</u>

डीजल वाहनों से सम्बन्धित देयकों की सम्परीक्षा में विदित हुआ है कि अनेक वाहनों के पंजीकृत नम्बरों के स्थान पर ज्ज 1ए3क्क्ष्.2क्ष्.2 आदि अंकित किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वाहनों का पंजीकरण नहीं कराया गया है। यह कृत्य आपत्तिजनक एवं अनियमित है। इससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हो सकती है। साथ ही डीजल पर्चियों पर एक ही अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, भिन्न-भिन्न हस्ताक्षर प्राप्त हो रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस कार्य हेतु एक अधिकृत अधिकारी ही हस्ताक्षर करे।

4. **गरुड़ वाहनों को आवंटित डीजल/पेट्रौल से सम्बन्धित लागबुकों को प्रस्तुत न किया जानाः-**

डीजल प्रमाणकों की सम्परीक्षा से ज्ञात हुआ है कि आवारा पशुओं को निरु( करने वाले गरुड़ वाहनों को समय-समय पर डीजल प्राप्त कराया जाता है। इस डीजल को प्राप्त कर वाहनों के चालकों द्वारा क्या कार्य सम्पादित किया गया, लागबुकों के अभाव में सम्परीक्षा अनभिज्ञ है। चालकों द्वारा डीजल प्राप्त कर दुरुपयोग की सम्भावना है। यह कृत्य अनियमित एवं आपत्तिजनक है तथा नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। सा0आ0सं0 24, दिनांक 8/7/13

5. **स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न मदों में जारी लाईसेन्स की स्थितिः-**

अभिलेखों के परीक्षण के मध्य विदित हुआ कि नगर निगम आगरा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाईसेन्स के रुप में निम्न मदों में लाईसेंस निर्गत किए गएः-

1. हॉस्पीटल, नर्सिंग होम/क्लीनिक 181

2. बारात घर 02

3. बीयर बार 16

4. लॉज 17

5. होटल/गेस्ट हाउस 256

उपरोक्त लाईसेंसिंग की स्थिति एवं शहर के विस्तार को देखते हुए अत्यधिक कम है। इस कारण लाईसेंसिंग से प्राप्त आय के बजटीय प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक आय में अत्यन्त कमी है। इससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हो रही है।

**6. संविदा (ठेकेदारी प्रथा) के आधार पर नाला सफाई एवं सफाई कार्य का भुगतान:-**

गार्ड फाईलों में चस्पा व्यय प्रमाणकों की सम्परीक्षा के मध्य विदित हुआ कि नालों आदि से निकाला गया कूड़ा किस प्रकार और कहाँ डाला गया, कूड़े की मात्रा तथा माप आदि के विवरण से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अभाव में स्थिति का स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक है। साफ किए गए नालों के परिमाप, क्षमता, लम्बाई-चौड़ाई एवं गहराई तथा की गई सफाई का क्षेत्रफल आदि का विवरण भी भुगतान के समय व्यय प्रमाणकों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा न होने से नगर निगम को आर्थिक क्षति की सम्भावना बनी रहती है।

**7. स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विज्ञापन विभाग में होर्डिंग के क्षेत्रफल के अभाव में शुल्क वसूल किया जाना:-**

विज्ञापन विभाग द्वारा वसूली हेतु प्रयोग में लाई गई रसीद सं0 2180/43, 2180/44 के परीक्षण के मध्य विदित हुआ कि रसीद सं0 2180/43 द्वारा धनराशि रु0 24540+100=24640.00 माह अप्रैल,13 हेतु वसूली गई है। किन्तु होर्डिंग के क्षेत्रफल अर्थात उसकी लम्बाई एवं चौड़ाई के बारे में कोई भी विवरण रसीद पर अंकित नहीं है। अतः विज्ञापन शुल्क के रुप में वसूली गई धनराशि का नियमानुसार आगणन किए जाने में संदेह प्रतीत होता है तथा दरों का उल्लेख न करने से भी स्थिति अस्पष्ट है। इसी प्रकार रसीद सं0-2180/44 से भी धनराशि रु0 21227.00

वसूली गई है। यह स्थिति नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। इस ओर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्यानाकर्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। सा0आ0सं0 41, दिनांक 16/9/2013

## केयर टेकर

1. दीपक टेक इंडिया फरीदाबाद को आर0ओ0 प्लांट के रखरखाव के ऐवज में किए गए भुगतान की सम्परीक्षाः-

गार्ड फाईल में संलग्न बिलों की सम्परीक्षा के मध्य विदित हुआ कि दीपक टेक इंडिया फरीदाबाद को नगर निगम के मुख्य भवन में लगे 02 आर.ओ. प्लांट तथा सेंट जोंस पब्लिक लाईब्रेरी में स्थापित 02 आर.ओ. के वार्षिक रखरखाव समझौते के तहत रु0 42,424.00 का भुगतान किया गया है। इस व्यय की पूर्व सम्परीक्षा नहीं कराई गई है तथा दीपक टेक को यह भुगतान किस वित्तीय वर्ष के लिए किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। अतः वार्षिक रखरखाव समझौते की सेवा शर्तों के अध्ययन एवं एजेन्सी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए रखरखाव के कार्यों का विवरण जैसे बिन्दुओं का विवरण विभाग से मांगा गया था जो अब तक अप्राप्य है। सा0आ0सं0 15, दिनांक 1/7/13

2. नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे रिलांयस मोबाइल के भुगतान की सम्परीक्षाः-

नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे रिलांयस मोबाइल का मार्च, 2013 का भुगतान देयक रु0 87,768.00 (बाउचर सं0 647, दिनांक 26/4/2013) का बिना सम्परीक्षा कराए कर दिया गया है। इस कारण भुगतान का सत्यापन नहीं हो सका तथा सम्भावित त्रुटियों की जानकारी भी नहीं हो सकी है। यह स्थिति नियमों के विरुद्ध है तथा नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत भी है। मोबाइल पर प्रतिमाह व्यय की क्या सीमा निर्धारित है, कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही बिल से सम्बन्धित

पत्रावली एवं समस्त पत्राजात विभाग से माँगे जाने के बावजूद अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। सा0आ0सं0 4, दिनांक 9/5/13

3. नगर निगम भवन के कक्ष सं0-114 (कंट्रोल रुम) एवं कक्ष सं0-222 में स्थापित एयरटेल दूरभाष यंत्रों के बिल पर भुगतान की गई धनराशि रु0 16,101.00 (वाउचर सं0 6044, 6045 दिनांक 03/10/13) की सम्परीक्षा के मध्य विदित हुआ कि उक्त भुगतान की पूर्व सम्परीक्षा नहीं कराई गई है। कमरा नं0-222 में स्थापित दूरभाष यंत्र किस कार्य प्रयोजन हेतु स्थापित है तथा भुगतान किया गया बिल किस अवधि का है यह स्पष्ट नहीं है। उक्त दोनों दूरभाष यंत्रों पर व्यय की गई धनराशि की सम्परीक्षा हेतु व्यय से सम्बन्धित समस्त कागजात (दूरभाष कम्पनी के बिल सहित) अविलम्ब सम्परीक्षा में मगांए गए थे, जो आज तक सम्परीक्षा में अनुपलब्ध हैं। सा0आ0सं0 54, दिनांक 2/12/2013

## वाहन विभाग

1. **वाहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न प्रकृति के वाहनों हेतु जारी लाईसेन्स की स्थिति:-**

अभिलेखों के परीक्षण के मध्य विदित हुआ कि वाहन विभाग द्वारा निम्न प्रकार लाईसेंस जारी किए गए:-

| | |
|---|---|
| 1. रिक्शा | 5307 |
| 2. ट्राली | 1943 |
| 3. रबर टेल | 1350 |
| 4. ताँगा | 35 |
| 5. दस्ती टेल | 30 |
| 6. बैलगाड़ी | 36 |
| 7. प्राईवेट भारकश(रेहड़ी) | 43 |

उपरोक्त लाईसेंसिंग की स्थिति शहर के विस्तार को देखते हुए अत्यंत कम है। इस कारण लाईसेंसिंग से प्राप्त आय के बजटीय प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक आय में अत्यंत कमी है। इससे नगर निगम आगरा को आर्थिक क्षति हो रही है।

## प्रकाश विभाग

1. **सुभाष बाज़ार व रावतपाड़ा में स्विच वायर डालकर प्रकाश व्यवस्था का कार्यः-**

कार्य का आगणन - रु0 2,35,767.00
निविदा आगणन दर पर- आई.जी. बिल्डर्स

उक्त कार्य की पत्रावली एवं माप पुस्तिका (886/2010-11) के परीक्षण में विदित हुआ कि अनुबन्ध के अनुसार कार्य को दिनांक 19/09/2013 को प्रारम्भ करके दिनांक 04/10/2013 को समाप्त होना था। परन्तु यह कार्य 24/10/13 को समाप्त किया गया। इसके संदर्भ में 10/10/2013 को अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु समयवृद्धि नहीं दी गई और न ही कोई अर्थदण्ड आरोपित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में सा0आ0सं0 67, दिनांक 29/1/14 द्वारा स्पष्टीकरण भी मांगा गया जो आज तक सम्परीक्षा को अनुपलब्ध है।

2. **प्रकाश विभाग द्वारा विभिन्न महोत्सवों/आयोजनों पर उपलब्ध कराई गई अस्थायी प्रकाश व्यवस्था पर हुए व्यय की सम्परीक्षाः-**

छोटी गार्ड फाइल में संलग्न बाउचरों की सम्परीक्षा के मध्य विदित हुआ कि 13/10/13 से 15/10/13 तक हाथीघाट, बल्केश्वर घाट व कैलाश घाट पर अस्थायी प्रकाश व्यवस्था हेतु रु0 21,000.00 (बाउचर संख्या 6827, दिनांक 28/10/13) तथा बकरीद व श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती पर क्रमशः रुपया 9600.00 (बाउचर संख्या 6826, दिनांक 28/10/13) एवं रु0 7400.00 (बाउचर संख्या 6825, दिनाक 28/10/13) का व्यय किया गया है। उक्त व्यय की पूर्व सम्परीक्षा नहीं कराई गई है तथा 13/10/13 से 15/10/13 तक अस्थायी प्रकाश व्यवस्था का कार्य

किस अवसर के लिए किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। सभी भुगतान व्यक्तिगत रुप से श्री ओमप्रकाश लवानियां, अवर अभियन्ता, प्रकाश विभाग को किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि कुटेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जिससे निगम प्रतिस्पर्धी दरों से वंचित रह गया। साधारण आपत्ति संख्या 62, दिनांक 4/1/14

3. **सदरभटटी से जामा मस्जिद रोड पर प्रकाश व्यवस्था का कार्यः-**

| | | |
|---|---|---|
| आगणन धनांक | - | रु0 8,70,137.00 |
| निविदा आगणन दर पर | - | कृपा इलैक्ट्रीकल्स |

उक्त कार्य के द्वितीय एवं अन्तिम बिल (धनांक रु0 6,67,707.00) की सम्परीक्षा के मध्य विदित हुआ कि कार्य 24/11/2013 को समाप्त किया गया है जबकि अनुबन्ध के अनुसार यह कार्य 26/06/2013 से प्रारम्भ होकर 24/7/13 को समाप्त करना थां इसके लिए न तो सक्षम प्राधिकारी से समय वृद्धि ली गई और न ही प्रकाश विभाग द्वारा सम्बन्धित फर्म पर कोई अर्थदण्ड आरोपित किया गया। यह स्थिति नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है। साधारण आपत्ति संख्या 72, दिनांक 06/03/2014

4. **प्रकाश विभाग की स्टॉक बुकों को सम्परीक्षा में उपलब्ध न कराया जानाः-**

सम्परीक्षा विभाग द्वारा अनेकों बार मौखिक एवं लिखित रुप से अनुरोध किए जाने के उपरान्त भी आज तक विभाग द्वारा विद्युत सामान के क्रय से सम्बन्धित स्टॉक बुकों को इंडेन्टों के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त क्रय किए गए सामान का क्या उपयोग हुआ तथा उपयोग नगर निगम हित में हुआ है अथवा नहीं, इससे सम्परीक्षा अनभिज्ञ है। कृत अनियमित एवं आपत्तिजनक है। सा0आ0संख्या 38, दिनांक 13/9/2013

5. मार्ग प्रकाश व्यवस्था में कार्यरत वाहनों को प्रतिदिन डीजल प्राप्त कराया जा रहा है। उक्त वाहनों द्वारा डीजल प्राप्त कर नगर निगम हित में क्या कार्य सम्पादित किया

गया, लागबुकों के अभाव में इसका सत्यापन नहीं हो सका। यह कृत्य अनियमित एवं आपत्तिजनक है तथा नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है।

उपसंहार:-

अनुभव में आया है कि प्रायः विभागीय अधिकारी/कर्मचारीगण सम्परीक्षा कराने एवं आपत्तियों का निराकरण कराने में घोर उदासीनता प्रदर्शित करते हैं, जिसके परिणामस्वरुप न तो आय-व्यय पक्ष की जांच हो पाती है और न उठाई गई आपत्तियों ही निर्णीत हो पाती है। फलस्वरुप जहाँ एक ओर सम्परीक्षा को अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण की आपत्तियां उठानी पड़ती है, वहीं दूसरी ओर सम्परीक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से यह तथ्य स्वतः पुष्ट हो जाएगा कि अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण अपनी चरम सीमा पर है। चूंकि अधिनियम के अन्तर्गत नगर निगम की समस्त आय-व्यय की सम्परीक्षा सम्पादित की जानी होती है। अतः प्रशासन का दायित्व इस ओर और बढ़ जाता है कि वह ऐसी व्यवस्था करें, जिससे स्वतः दैनिक आय व व्यय एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख सम्परीक्षा के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत किए जा सके। इस दिशा में सुधार लाने, सम्परीक्षा के उददेश्य की पूर्ति करने एवं उसे प्रभावशाली बनाने हेतु दण्ड विधान बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अन्त में, मैं नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा इस प्रतिवेदन के बनाने में दिए जाने वाले सहयोग के लिए उनका आभार प्रदर्शित करता हूं, साथ ही में अपने सम्परीक्षा विभाग के समस्त कर्मचारी वर्ग विशेषकर श्री अरुण कुमार सिंह, लेखा परीक्षक के सहयोग के लिए भी अत्यन्त आभार प्रदर्शित करता हूं।

(संजय प्रताप सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम आगरा